


प्रपत्र 'ख'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणो  
अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/ रद्द करने के लिए

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कडिका 3 का

उपकडिका 13, 14 तथा कडिका 4 उपकडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)



1. आवेदक का नाम
2. आधार / EID no
3. मोबाईल नं०-
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. विद्यमान राशन कार्ड की सं०-
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं०-
8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण-
  - (क) निवास में परिवर्तन -
  - (ख) जन्म या मृत्यु -
  - (ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ -
  - (घ) अन्य कारण -
9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी -

क्र०	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार / EID no	मोबाईल न०	व्यवसाय / सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण -

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हों  नहीं
- (ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हों  नहीं
- (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हों  नहीं
- (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रु० से अधिक है, हों  नहीं
- (v) आयकर देते है, हों  नहीं
- (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हों  नहीं
- (vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हों  नहीं
- (viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हों  नहीं
- (ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हों  नहीं
- (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हों  नहीं
- (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हों  नहीं
- अगर है तो उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
- (ख) कहां पदस्थापित है -
- (ग) कितना मासिक आमदनी है -

(ख) शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) आयकर अदा करते है, हों  नहीं
- (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु०जाति/अनु० जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हों  नहीं
- अगर  उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
- (ख) कहां पदस्थापित है -

(ग) कितनी मासिक आमदनी है -

- (iii) व्ययसायिक कर अदा करते हैं, हों  नहीं
- (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हों नहीं
- (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- ₹0 से अधिक है, हों  नहीं
- (vi) दो पहिया वाहन, रेफीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण हैं, हों  नहीं
- (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हों  नहीं
- (viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हों  नहीं

उपरोक्त कंडिका ..... के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/कंडिका ..... के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक  
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम

24/11/20